कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए छत्तीसगढ़ की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है। यह राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और उसके राजस्व और व्यय के रुझानों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधार लेने के तरीकों का आकलन करता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर उसके प्रदर्शन की तुलना करता है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान मध्यम वृद्धि दर्ज की, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 1.72 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्षों में यह योगदान कम हुआ है, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। हमने पाया कि राज्य की राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 16.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कर संग्रह में वृद्धि, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि और केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण में वृद्धि है। इसके अलावा, करेत्तर राजस्व में भी मजबूत वृद्धि (15 प्रतिशत) दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ और पिछले दस वर्षों में केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता में काफी कमी आई है।

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा अधिक था, जो कि 86.02 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का क्रमशः 54.39 प्रतिशत और 52.18 प्रतिशत थे, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित रही। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना और कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली अनुदान जैसी योजनाओं के कारण सब्सिडी में तेजी से वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय में वृद्धि का रुझान देखा गया है। राजस्व आधिक्य के लक्ष्य के मुकाबले राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.80 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा एमटीएफपीएस/एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनुमानित 2.90 प्रतिशत के मुकाबले जीएसडीपी का 4.48 प्रतिशत रहा। यद्यपि बकाया देनदारियां 15वें वित्त आयोग के अनुशंसित अनुमानों के भीतर रहीं, फिर भी यह बजट अनुमानों में अनुमानित स्तर से अधिक हो गईं, इसे राज्य शासन के बकाया ऑफ–बजट उधारों और गारंटी के कारण आकस्मिक देनदारियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य शासन ने खनिज विकास निधि, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, अवसंरचना विकास उपकर और पर्यावरण उपकर, ब्याज देनदारियों आदि के संबंध में ₹ 6,194.54 करोड़ की महत्वपूर्ण बकाया देनदारियों को भी आगे बढ़ाया है, जो वित्त वर्ष 2024–25 में जीएसडीपी का 1.09 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने अपनी विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से पहले ही कर राजस्व में बकाया राशि की वसूली, कराधान में अनुपालन जोखिमों को कम करने, एसपीएसई में किए गए पूंजी निवेशों का पुनर्चक्रण करने और राजस्व वृद्धि के अनुरूप राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को उजागर किया है।

इस वित्तीय वर्ष में भी 69 अनुदानों में भारी बचत और छह अनुदानों/विनियोजनों में आधिक्य व्यय देखने को मिला। वर्ष के दौरान किए गए ₹27,897.20 करोड़ के पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे क्योंकि कुल व्यय मूल बजट के भीतर ही रहा। वर्ष 2024–25 में ₹1,538.65 करोड़ के आधिक्य व्यय को विधायिका द्वारा नियमित करना आवश्यक है। इसके अलावा, 129 पीडी खातों के तहत ₹ 1,372.27

करोड़ का अंत शेष, स्वायत्त निकायों के लिए लंबित खाते, और लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/व्यय का अधिक उपयोग वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बेहतर निधि ट्रैकिंग के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) और एसएनए–स्पर्श के कार्यान्वयन जैसे सकारात्मक कदमों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन प्रणालियों में पूर्ण रूप से स्थानांतरण अभी लंबित था।

अच्छे अभ्यासों में 97.87 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मंजूरी और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) निधि का समय पर हस्तांतरण जैसी चीजें शामिल थीं।

बढ़ता हुआ ऋण भार, उच्च प्रतिबद्ध व्यय, और सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। ऑफ–बजट उधारों में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।